

7.1.21

पताबली पेश हुई। पताबली एक अकलोकन करने
पर (बाहिर हुआ कि आदेशी का दिनांक 15-4-19 से
आज किनांक तक का वजूद समाप्त हो राजा के आदेश
प्रार्थी गण/ अधीनकार प्रार्थी गण द्वारा अपाथी को
गणों को ^{को तलबी} करिये राजस्व A3 या तहसीलवार
के द्वारा तथा ना-ही अपाथी गणों का जबरान आया।
स्पष्ट है कि विगत तीन वर्षों से न्यायस्थान के आदेशों
की कालना न की जाकर न्यायस्थान का समय
किमा जा रहा है। अतः पताबली आदेश 09 दिनांक 05
मि. पी. सी. के तहत खारिज किया जाना उचित है।
पताबली खारिज की जाती है। पताबली के सल बुझा
होकर नमक से काम होकर दालिब दफतर ही।
विषय लेना जानकर बुले न्यायस्थान में सुनाया गया।

